



स्वास्थ्य निदेशालय झारखण्ड, राँची।

E-Mail: - Jhr.healthdirector4@gmail.com



सं०सं०- स्वा०नि०/23/मु०स्था०-38/2026- 1275(23)
आदेश

राँची, दिनांक 31/07/2026

दिनांक 28 जुलाई 2026 को सम्पन्न स्थापना समिति, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानांतरण हेतु अनुशंसित निम्नलिखित लिपिकों को उनके नाम के सामने कॉलम-03 में अंकित स्थान से स्थानांतरित करते हुए कॉलम-04 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मि का नाम / पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	सत्यकाम यादव, लिपिक	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद	जिला भी०बी०डी० कार्यालय, देवघर	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
2	अनिल कुमार हेस्सा, लिपिक	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद	जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी कार्यालय, पलामू	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
3	शशिप्रिया बाखला, लिपिक	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद	श्रीश्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट सरकारी अस्पताल, धनबाद	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
4	नन्दलाल प्रसाद, लिपिक	जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, हजारीबाग	फाईलेरिया नियंत्रण इकाई, राँची	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
5	सुरेन्द्र प्रसाद यादव, लिपिक सह भंडारपाल	फाईलेरिया नियंत्रण इकाई, राँची	जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, हजारीबाग	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
6	आशा कुमारी, लिपिक	जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी कार्यालय, पलामू	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
7	परिमल कुमार दास, लिपिक	जिला भी०बी०डी० कार्यालय, देवघर	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
8	कुमुद कुमार सिन्हा, लिपिक	अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग	प्रा० स्वा० केन्द्र, हरली, दारु, हजारीबाग	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।
9	श्रवण कुमार, लिपिक	अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग	सामु० स्वा० केन्द्र, चौपारण, हजारीबाग	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।

10	विवेकानन्द चॉद, लिपिक	प्राचार्य एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविधालय, जमशेदपुर	प्राचार्य, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविधालय, धनबाद	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05. 2026 के आलोक में।
11	सुजायत आलम, लिपिक	प्राचार्य एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविधालय, जमशेदपुर	प्राचार्य, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविधालय, धनबाद	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05. 2026 के आलोक में।
12	तनुश्री मंडल, लिपिक	श्रीश्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट सरकारी अस्पताल, धनबाद	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05. 2026 के आलोक में।

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों को दिनांक 14.08.2026 तक निश्चित रूप से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा दिनांक 17.08.2026 के पूर्वाह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
- स्थानांतरित स्थल पर पद रिक्त नहीं रहने पर संबंधित कर्मों का पदस्थापन संबंधित जिले के सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करते हुए इसका अनुमोदन स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों का पूर्व पदस्थापित स्थान से उनके पदस्थापन के संबंध में सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थानान्तरित कर्मों के द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर निर्धारित तिथि तक योगदान करने अथवा उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने की सूचना दिनांक 20.08.2026 तक स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्थानांतरित कर्मियों का माह-अगस्त 2026 का वेतन नव-पदस्थापित स्थान से देय होगा। स्थानांतरण आदेश की सम्पुष्टि उपरांत ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। सम्पुष्टि के बिना वेतनादि का भुगतान किये जाने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- स्थानांतरित कर्मों यदि पूर्व से अन्य संस्थान में प्रतिनियुक्त हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(Handwritten signature)

(डा० सिद्धार्थ सान्याल)

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

सं०सं०- स्वा०नि०/23/मु०स्था०-38/2026- 1275 (23)

राँची, दिनांक 31/07/2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं प० क० विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, स्वा० चि० शिक्षा एवं प०क० विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा० सेवाएँ, झारखण्ड/ सभी संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड/ सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/ सभी संबंधित उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, झारखण्ड/ सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु० स्वा० केन्द्र/रेफरल अस्पताल/प्रा० स्वा० केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(Handwritten signature)

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।